उत्तर प्रदेश सरकार
सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2, 242-जवाहर भवन

संख्या 541/ब्यूरो-2-2 (45)-79
लखनऊ, दिनांक 18 फरवरी, 1980

कार्यालय-ज्ञाप

विषय-सार्वजनिक क्षेत्र में जन-शक्ति नियोजन-सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों का गठन।

उपर्युक्त विषयक शासकीय कार्यालय-ज्ञाप संख्या 5195/ब्यूरो-2-2 (45)-79, दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 के प्रस्तर-3 में प्रशासकीय विभागों द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के विषय में कतिपय जिज्ञासायें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-5453/ब्यूरो-2-2 (45)-79, दिनांक 16 फरवरी, 1980 के क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि-

(1) सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों द्वारा, उनकी परिधि में आने वाले पदों के विषय में, चयन के पश्चात् उपयुक्त व्यक्तियों के नाम शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को प्रेषित किए जायेंगे जो कि अपने विभाग में सक्षम स्तर के आदेश प्राप्त करेंगे। तदुपरान्त जिन मामलों में नियुक्तियाँ शासन द्वारा की जाती है, वहाँ नियुक्ति आदेश सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा यथावत् जारी किये जायेंगे, पर जिन मामलों में नियमानुसार नियुक्तियाँ संबंधित सार्वजनिक निगम/परिषद्/उपक्रम द्वारा शासन की पूर्वानुमति से किए जाने का प्राविधान है, उनमें भी यथावत् प्रशासकीय विभाग द्वारा केवल नियुक्ति का अनुमोदन ही प्रदान किया जायेगा तथा नियुक्ति आदेश संबंधित निगम/परिषद्/उपक्रम द्वारा जारी किये जायेंगे।

(2) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 के प्रस्तर-5 में गठित चयन समिति (प्रथम) तथा चयन समिति (द्वितीय) में संबंधित सार्वजनिक उपक्रम/निगम/परिषद् के अध्यक्ष (जहाँ चयन प्रबन्ध निदेशक के पद पर होना है) तथा प्रबन्ध निदेशक (जहां चयन अन्य प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों इत्यादि का होना है) सहयुक्त रहेंगे।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप में जहाँ कहीं "प्रबन्ध निदेशक" शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य सार्वजनिक उपक्रम/उद्योग के मुख्य अधिशासी (चीफ एक्जीक्यूटिव) से है।

(4) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ तक अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक का प्रश्न है, उनका चयन बिना किसी न्यूनतम वेतन के प्रतिबन्ध से या तो चयन समिति (1) या चयन समिति (2) द्वारा किया जायेगा, अर्थात् ऐसे प्रबन्ध निदेशक के पद जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु0 2,000 या उससे कम है, उनका भी चयन, चयन समिति (द्वितीय) द्वारा किया जायेगा। अतः कार्यालय ज्ञान के प्रस्तर-8 में ऐसे समस्त तकनीकी तथा गैर तकनीकी पदों का तात्पर्य जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु0 2,000 या उससे कम है, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के पदों को छोड़ते हुए अन्य समस्त पदों का समझा जाय।

(5) इसी प्रसंग में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दोनों ही चयन समितियों द्वारा चयन करते समय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के संबंध में जारी किए गए शासनादेश संख्या 5601/ब्यूरो-77-31-(62)/74, दिनांक 23 जनवरी, 1978, जो उक्त जातियों के लिए सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों की सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित हैं, का पूर्ण रूपेण पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सुमन कुमार मांडवल,
सचिव।

1-शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव।
2-समस्त सार्वजनिक निगमों/उद्योगों/उपक्रमों/परिषदों आदि के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकगण।
3-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संख्या 541 (1)/ब्यूरो-2-2 (45)-79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलों के आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

आज्ञा से,
दिनेश राय,
उप सचिव।